



**पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ**  
**प्रेस-विज्ञप्ति**

**विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**दिनांक 13-02-2021**

दिनांक 12/13-02-2021 को रात्रि थाना अमीनाबाद 02, विकासनगर 01, नगराम 01, गोसाईगंज 03, चिनहट 01 गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 08 अभियुक्त गिरफ्तार।**

**डी0सी0पी0 उत्तरी**

**जुआ खेलते समय गिरफ्तार।**

**थाना जानकीपुरम:**—दिनांक 12-02-2021 को एस0आई0 श्री राजनारायण थाना जानकीपुरम् द्वारा अभियुक्त 01—अजय कुमार उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 जय रामदास निवासी मुस्लिमनगर थाना जानकीपुरम लखनऊ 2—इरफान उर्फ शोरा पुत्र इस्तियाक निवासी अस्थाई पता कमलानगर किराये का मकान थाना जानकीपुरम लखनऊ स्थायीपता कस्बा मछरेहटा थाना मछरहेटा जनपद सीतापुर को आपस में रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते समय सार्वजनिक स्थान मुस्लिमनगर शाही मस्जिद के पीछे खाली मैदान में जानकीपुरम से गिरफ्तार किया गया, जिसके कजे से माल फड में 1230/—रूपये, ताश के 52 अद्द व जामा तलाशी में 380/—रूपये बरामद कर थाना जानकीपुरम् पर अभियोग पंजीकृत कर थाना जानकीपुरम् पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**डी0सी0पी0 दक्षिणी**

**अवैध शराब के साथ गिरफ्तार।**

**थाना गोसाईगंज:**—दिनांक 12-02-2021 को एस0आई0 श्री फिरोज आलम सिद्दीकी थाना गोसाईगंज द्वारा अभियुक्त 01— मजनू पुत्र बद्री निवासी देईटीकर थाना गोसाईगंज लखनऊ को राईन ईट भट्टे के पास ग्राम देईटीकर गोसाईगंज से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

**यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही।**

**थाना नगराम:**—दिनांक 12-02-2021 को प्रभारी निरीक्षक मो0 असरफ थाना नगराम लखनऊ द्वारा अभियुक्त 01—लक्ष्मी नारायण पुत्र स्व0 रामानन्द निवासी ग्राम शुक्वा मजरां समेसी थाना नगराम लखनऊ के विरुद्ध थाना नगराम पर यूपी गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

**भा0द0वि0**

**तालकटोरा:**—दिनांक 13-02-2021 को थाना तालकटोरा द्वारा बताया गया कि श्री शैलेश कुमार निगम पुत्र स्व0 श्याम किशोर निगम निवासी 629 एफ ब्लॉक राजाजीपुरम् थाना तालकटोरा लखनऊ ने थाना तालकटोरा पर सूचना दिया कि दिनांक 12-02-2021 को वह अपनी माता श्रीमती मंजू निगम के साथ अपनी मामी की तेरहवीं में कैम्पवेल रोड़ गया था, घर पर उसका बड़ा भाई शैलेन्द्र कुमार निगम उम्र करीब 33 वर्ष जो किराये पर ई0 रिक्शा चलाता था, रुका हुआ था। तेरहवीं में शामिल होने के बाद आज दिनांक 13-02-2021 को प्रातः जब वह अपने घर पर आया और आवाज दी, तो कोई आवाज नहीं आयी, फिर वह दीवार कूदकर अन्दर गया तो देखा कि उसके भाई शैलेन्द्र कुमार निगम ने घर के अन्दर कमरे में लगे लोहे के एंगिल में साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री मनोज कुमार द्वारा थाना तालकटोरा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** प्रभारी निरीक्षक तालकटोरा द्वारा बताया गया कि मृतक अविवाहित था।